INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

8928/2023

Name ACC - Sunil Chaturvedi
ACC Code - UP14103604
Licence No. - 19/2013-2014
Teh. & Distt. - MATHURA

LOCKED

Certificate No.	:	IN-UP00875761722323V
Certificate Issued Date	:	03-May-2023 06:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14103604/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410360496180022531478V
Purchased by	:	SHREE BADRINATH CONSTRUCTIONS
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUJA CHATIKARA DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAGHUNANDAN AGRAWAL
Second Party	:	SHREE BADRINATH CONSTRUCTIONS
Stamp Duty Paid By	:	SHREE BADRINATH CONSTRUCTIONS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,95,750 (One Lakh Ninety Five Thousand Seven Hundred And Fifty only)

IN-UP00875761722323V

Please write or type below this line

Raghunandan Ag

M/s Shree Badrinath Constructions

Prop.

JD0031347811

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SKOIL

{2}

।। श्रीहरिः ।।

1. भूमि का प्रकार : कृषि भूमि

2. मौहल्ला/ग्राम : बैनामा कृषि भूमि <u>मौजा छटीकरा</u> तहसील व जिला मथुरा,

3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नं0–267 खसरा नं0–363 रकबा 2.341 है0 लगानी रूबरू कागजात में से 0.447298 है0 सम्पूर्ण अंश का हिस्सा 1/2 यानि रकबा 0.223649 है0

4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : रकबा 0.223649 है0

5. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : मुख्य मार्ग व लिंक मार्ग से दूर

6. प्रतिफल की धनराशि : 27,96,000/–रुपये

7. सरकारी मालियत –: 27,96,000/–रुपये

8 देय स्टाम्प–1,95,750/–रूपये ई–स्टाम्प संलग्न है

9. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट 1,25,00,000/–रूपया प्रति है0, जो रेट लिस्ट में पेज नं0–29 क्रमांक 23 कोड नं0–1022 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम मथुरा। विकास शुल्क सीमा के अन्दर

M/s Shree Badrinath Constructions

Prop.

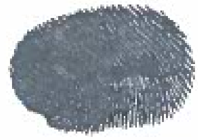

<u>प्रथम पक्ष विक्रेता</u>
रघुनन्दन अग्रवाल पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल निवासी–पुराना बजाजा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा मो0–9719405688 PAN-ABZPA1332R

<u>द्वितीय पक्ष क्रेता</u>
श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर राहुल सिंघल पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल निवासी–68, मयूर विहार, धौलीप्याऊ, मथुरा मो0–9897676006 PAN-CIWPS6269K

जो कि खाता नं0–267 खसरा नं0–363 रकबा 2.341 है0 लगानी रूबरू कागजात में से 0.447298 है0 सम्पूर्ण अंश बाकै मौजा <u>छटीकरा,</u> तहसील व जिला मथुरा, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है, उक्त आराजी खसरा नं0–363 के 3/5 भाग को रघुनन्दन अग्रवाल व भरतलाल अग्रवाल व राजकुमार अग्रवाल ने एक साथ मिलकर बजरिये बैनामा दिनांक 01.05.2004 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 2687 पृष्ठ 1–44 नं0–4004 पर हुयी है हरीओम व बाबी व हरीशंकर पुत्रगण गिर्राज सिंह से खरीद किया जिसमें 1/3 भाग मिल्कियत प्रथम पक्ष की है, जिसमें से रकबा 0.020902 है0 प्रथम पक्ष दान पत्र द्वारा हस्तान्तरित कर चुके है शेष रकबा 0.447298 है0 मिल्कियत प्रथम पक्षगण की है, जिस पर विक्रेता का ही एकमात्र वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का नाम सरकारी

M/s Shree Badrinath Constructions
Prop.

कागजात राजस्व अभिलेख आदि में दर्ज है, सिवाय विक्रेता के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और विक्रेता को उक्त कृषि भूमि की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त कृषि भूमि किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और न ही उक्त कृषि भूमि किसी जगह रहन व गिरवी आदि है और न ही किसी भी प्रकार की अधिगृहण की कार्यवाही में विचाराधीन है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो उक्त कृषि भूमि के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और उक्त कृषि भूमि की बाबत प्रथम पक्ष ने कोई इकरारनामा मुहायदावै पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के साथ तय नही किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष को अपनी जरूरतों के लिये धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी सम्पूर्ण अंश में से 1/2 भाग को विक्रय कर देना उचित समझा है और इस समय द्वितीय पक्ष खरीददार अच्छी कीमत देकर उक्त कृषि भूमि को क्रय करने को तैयार है। इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

चुनांचि अपनी उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण अंश जिसे संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, में से 1/2 आधे भाग को समस्त अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित बखुशी बराजी अपने बऐवज 27,96,000/-रु. (सत्ताईस लाख छियानवे हजार रुपये) में बदस्त श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर राहुल सिंघल पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल निवासी-68, मयूर विहार, धौलीप्याऊ, मथुरा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और विक्री कर दी और कीमत का कुल रुपया प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर कब्जा व दखल बेची गयी कृषि भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प.थम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा

Bhunandan Pz

M/s Shree Badrinath Constructions

Rahul

Prop.

आवेदन सं०: 202300764023949

विक्रय पत्र

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 8928** **वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 2796000 स्टाम्प शुल्क- 195750 बाजारी मूल्य - 2796000 पंजीकरण शुल्क - 27960 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 28020

श्री रघुनन्दन अग्रवाल ,
पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: पुराना बजाजा वृन्दावन मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/05/2023 एवं 06:04:34 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एच.के० त्रिपाठी
उप निबंधक :सदर प्रथम
मथुरा
08/05/2023

नरेन्द्र कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक
08/05/2023

प्रिंट करें

मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष क्रय की गयी उक्त कृषि भूमि के आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयें। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेची गयी कृषि भूमि की मिल्कियत की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो प्रथम पक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रुपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों से व उनकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाब्ता बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कुछ उज्र न होगा। उक्त आराजी में कोई पेड कुआं बोरिंग आदि नहीं है, तथा कृषि कार्य हो रहा है उक्त कृषि भूमि विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है विक्रेता व क्रेता अनूसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। स्टाम्पशुल्क, फीस आदि समस्त खर्चा बैनामा क्रेता ने वहन किया है।

विवरण कीमत का कुल रुपया प्राप्ति का :–

कीमत के कुल रुपयों में से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त किया– 27,96,000/–रुपये चैक नं0–558265 दिनांक 04.10.2022 केनरा बैक द्वारा समायोजित करके प्राप्त किये।

M/s Shree Badrinath Constructions

Prop.

आवेदन सं०: 202300764023949

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8928 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रघुनन्दन अग्रवाल, पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल

निवासी: पुराना बजाजा वृन्दावन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

श्री श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन के द्वारा राहुल सिंघल, पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल

निवासी: 68 मयूर बिहार धौलीप्याउ मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दीपक शर्मा, पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा

निवासी: आशानगर कालौनी जयसिंहपुरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सुरेश, पुत्र श्री विशनबाबू

निवासी: राया मथुरा

व्यवसाय: अन्य

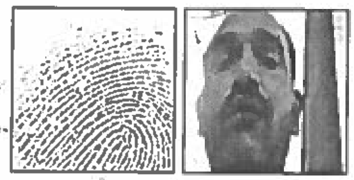

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :नोट– विक्रेता ने प्रलेख में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार किया।

ए० के० त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
08/05/2023

नरेन्द्र कुमार सक्सेना
निबंधक लिपिक मथुरा
08/05/2023

प्रिंट करें

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ा व सुना कर, ड्राफ्ट व टाइप कर निबंधन हेतु पक्षकारगण के सुपुर्द किया गया।

दिनांक : 03.05.2023
टाईप किया : दीपक मथुरा।
ड्राफ्ट किया : प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा

M/s Shree Badrinath Constructions
Prop.

गवाह-दीपक शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा
नि0-आशानगर कालौनी जयसिहपुरा मथुरा मो0-8923208888

गवाह-सुरेश पुत्र विशनबाबू
नि0-राया मथुरा मो0-9457077190

आवेदन सं०: 202300764023949

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18212 के पृष्ठ 49 से 62 तक क्रमांक 8928 पर दिनाँक 08/05/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ए० के० त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
08/05/2023

प्रिंट करें